

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-ल0ज0सं0/नि0प्र0/जांच-01/23

272
संकल्प

/पटना, दिनांक:- 03/9/26

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री रंजीत कुमार, (आई0डी0-C140015) ने जबकि वे कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय में पदस्थापित थे, उक्त पदस्थापन अवधि के दौरान लखीसराय के सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत-साबिकपुर अवस्थित सात राजकीय नलकूपों यथा- सामनडीह, लोदिया-01, 02, 03, लोदिया फेज-11, दामोदरपुर -01 एवं साबिकपुर के जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता बरती है, जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

2. अतएव बिहार राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री रंजीत कुमार के विरुद्ध अनुबंध में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही चलायी जाय। इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के लिए अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन में जाँच पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में जैसा कि जाँच पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष उपस्थित हों एवं अपने बचाव का लिखित अभिकथन उनके समक्ष प्रस्तुत करें।

5. अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6. इस कार्यवाही की प्रत्येक सुनवाई की तिथि को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी विभागीय प्रतिनिधि के रूप में जाँच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र में प्रकाशित की जाय एवं अनुबंध की प्रति के साथ

- (i) अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना(जाँच पदाधिकारी),
- (ii) कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय (प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी),
- (iii) श्री रंजीत कुमार, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बेगूसराय को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक:-

/पटना, दिनांक-

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रतिलिपि:- अनुबंध की प्रति के साथ अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना(जाँच पदाधिकारी)/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय (प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी) एवं श्री रंजीत कुमार, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया कार्यवाही तुरंत प्रारंभ कर दें एवं इस कार्यवाही का निष्पादन यथाशीघ्र करते हुए जाँच प्रतिवेदन अपने निष्कर्ष के साथ तीन प्रतियों में समर्पित करने का कष्ट किया जाय ।

3. अनुलग्नक:-

- (i) विहित प्रपत्र में वर्णित आरोप पत्र(साक्षियों की सूची के साथ)
- (ii) आरोप पर आधारित साक्ष्यों की छायाप्रति
- (iii) विभाग द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण की छायाप्रति
- (iv) आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक:-

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग(ई-गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में (सी0डी0 के साथ) प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु0-यथोक्त ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक:-

5763

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय/आई0टी0 मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त संकल्प को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना तथा संकल्प का सी0डी0 तैयार कर प्रेषण शाखा/निर्गत शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

सरकार के अपर सचिव